न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0ः–699/2021

दाउदनगर थाना कांड संख्या :–420/2021

20.06.2022 आवेदक आलोक कुमार की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ बंधपत्र दाखिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया, तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0मि0नं0–55623/2021 में पारित आदेश दिनांक–15.06.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है। उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदक बंधपत्र दाखिल करना चाहता है । आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा वर्णित प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करेगा । अतः आवेदक को बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाय ।

सुना । अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदक का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0मि0नं0–55623/2021 में पारित आदेश दिनांक–15.06.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है। जिसके अंतर्गत आवेदक को आदेश प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह के अंदर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने या गिरफतारी के तहत उपस्थित होने पर मो0–10000/–(दस हजार) रूपये प्रत्येक के समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर धारा 438(2) दं.प्र.सं. के अनुपालन के आलोक में विभिन्न शर्तो के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है । उक्त आदेश की प्रति अभिलेख पर संलग्न है । आवेदक समय सीमा के अंतर्गत आत्मसमर्पण किये है एवं उपरोक्त आदेश में वर्णित तथ्य का पालन करने का कथन करता है ।

अतः उपरोक्त आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेश के आलोक में बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।